

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2452 /

जबलपुर, दिनांक 20/03/2025

II-13-67/25

श्री वीर सिंह बघेल, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 22.02.2024 से 04.04.2024 तक 43 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 05.04.2024 से 30.04.2024 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक C/2453 /

जबलपुर, दिनांक 20/03/2025

II-13-67/25

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 537/स्था. ग्वालियर, दिनांक 29/01/2025 के संदर्भ में श्री वीर सिंह बघेल, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का निर्धारित प्रपत्र, अनफिट-फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा पेपर्स एवं अवकाश लेखा की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)